

**वित्त मंत्रालय**

**मांग संख्या 35**

**राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण**

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012				
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
राजस्व	57946.25	28019.46	85965.71	62992.81	32964.00	95956.81	63596.03	32474.00	96070.03	71741.61	49623.62	121365.23		
<b>पूँजी</b>	<b>7824.06</b>	...	<b>7824.06</b>	<b>7163.44</b>	...	<b>7163.44</b>	<b>10413.44</b>	...	<b>10413.44</b>	<b>9000.00</b>	...	<b>9000.00</b>		
<b>जोड़</b>	<b>65770.31</b>	<b>28019.46</b>	<b>93789.77</b>	<b>70156.25</b>	<b>32964.00</b>	<b>103120.25</b>	<b>74009.47</b>	<b>32474.00</b>	<b>106483.47</b>	<b>80741.61</b>	<b>49623.62</b>	<b>130365.23</b>		
<b>राज्य/संघशासित क्षेत्र को अनुदान</b>														
<b>योजना भिन्न अनुदान</b>														
1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान														
1.01	राजस्व खाते में घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान	3601	...	9528.14	9528.14	...	11653.00	11653.00	...	11653.00	11653.00	...	10808.00	10808.00
1.02	अपदा राहत कोष में अंशदान	3601	...	3791.86	3791.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.03	स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	3601	...	5706.46	5706.46	...	8182.00	8182.00	...	8085.14	8085.14	...	13713.35	13713.35
1.04	शिक्षा क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान	3601	...	2281.35	2281.35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.05	स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	3601	...	1370.83	1370.83	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.06	सड़क और पुलों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान	3601	...	3391.24	3391.24	...	...	...	...	51.61	51.61	...	4359.00	4359.00
1.07	सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए अनुदान	3601	...	994.43	994.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.08	वनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान	3601	...	214.49	214.49	...	...	...	...	14.00	14.00	...	...	...
1.09	विरासत संरक्षण को सहायता अनुदान	3601	...	179.14	179.14	...	...	...	...	18.46	18.46	...	...	...
1.10	राज्य की विशिष्ट (जरूरतों) के लिए सहायता अनुदान	3601	...	2136.14	2136.14	...	1050.00	1050.00	...	1244.90	1244.90	...	6723.75	6723.75
1.11	राज्य आपदा रिस्पांस निधि (एसडीआरएफ) (क्षमता निर्माण सहित)	3601	...	...	...	...	4782.80	4782.80	...	4782.83	4782.83	...	5016.70	5016.70
1.12	राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस बल के लिए सहायता अनुदान	3601	...	...	...	...	250.00	250.00	...	...	...	...	...	...
1.13	निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान के लिए सहायता अनुदान	3601	...	...	...	...	630.00	630.00	...	630.00	630.00	...	510.00	510.00
1.14	पर्यावरण के लिए सहायता अनुदान	3601	...	...	...	...	625.00	625.00	...	625.00	625.00	...	1875.00	1875.00
1.15	अभिज्ञान के लिए सहायता	3601	...	...	...	...	1791.20	1791.20	...	1369.06	1369.06	...	2028.82	2028.82

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
अनुदान													
1.16 प्रारंभिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान	3601	...	...	...	...	3675.00	3675.00	...	3675.00	3675.00	...	4264.00	4264.00
जोड़- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान		...	29594.08	29594.08	...	32639.00	32639.00	...	32149.00	32149.00	...	49298.62	49298.62
2. स्वर्ण मंदिर के विकास के लिए सहायता	3601	...	3.35	3.35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. अरुणाचल प्रदेश सरकार को एकमुश्त अनुदान	3601	...	100.00	100.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केन्द्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के एवज में अनुदान	3602	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00
जोड़-योजना भिन्न अनुदान		...	30022.43	30022.43	...	32964.00	32964.00	...	32474.00	32474.00	...	49623.62	49623.62
जोड़-राज्य/संघशासित क्षेत्र को अनुदान		...	30022.43	30022.43	...	32964.00	32964.00	...	32474.00	32474.00	...	49623.62	49623.62
राज्य तथा संघशासित क्षेत्र को सहायता अनुदान योजना भिन्न अनुदान													
5. अर्थोपाय अग्रिम													
5.01 अदायगियां	7601	...	...	...	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
5.02 घटाइए - वर्ष के दौरान वसूलियां	7601	...	...	...	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00
कुल		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
राज्य/संघशासित क्षेत्र को अनुदान योजना भिन्न अनुदान													
6. ऋणों का रूपांतरण/बट्टे खाते में डालना													
6.01 राज्य सरकारों के बट्टे खाते डाले ऋण	2075	...	3350.81	3350.81	...	100.00	100.00	...	1100.00	1100.00	...	500.00	500.00
6.02 घटाइए - निवल प्राप्तियां	0075	...	...	...	...	-100.00	-100.00	...	-1100.00	-1100.00	...	-500.00	-500.00
6.03 घटाइए - निवल प्राप्तियां	7601	...	-3350.81	-3350.81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान ऋण													
7. राष्ट्रीय निवेश निधि													
7.01 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	3601	3384.97	...	3384.97	7732.00	...	7732.00	2732.00	...	2732.00	7732.00	...	7732.00
7.02 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के लिए एनआईएफ से ली गई धनराशि	3601	-1922.00	...	-1922.00	-3076.00	...	-3076.00	-1032.00	...	-1032.00	-3076.00	...	-3076.00
7.03 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईवीपी) के लिए एनआईएफ से ली गई धनराशि	3601	-1462.97	...	-1462.97	-4656.00	...	-4656.00	-1700.00	...	-1700.00	-4656.00	...	-4656.00
कुल		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. एकमुश्त अनुदान													
8.01 सामान्य केन्द्रीय सहायता	3601	17442.05	...	17442.05	21728.00	...	21728.00	21128.00	...	21128.00	23263.00	...	23263.00
<a href="http://indiabudget.nic.in">http://indiabudget.nic.in</a>													

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
8.02	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	3937.19	...	3937.19	2387.81	...	2387.81	2586.56	...	2586.56	2000.00	...	2000.00
8.03	अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	4157.74	...	4157.74	1000.00	...	1000.00	1836.47	...	1836.47	1000.00	...	1000.00
8.04	केन्द्रीय सहायता	3601	...	...	...	...	...	...	3500.00	...	3500.00	5400.00	...	5400.00
8.05	विशेष केन्द्रीय सहायता - पर्वतीय क्षेत्र	3601	254.18	...	254.18	272.00	...	272.00	272.00	...	272.00	299.00	...	299.00
8.06	विशेष केन्द्रीय सहायता - सीमावर्ती क्षेत्र	3601	635.00	...	635.00	635.00	...	635.00	691.00	...	691.00	900.00	...	900.00
8.07	विशेष योजना सहायता	3601	9219.73	...	9219.73	4500.00	...	4500.00	8157.00	...	8157.00	2600.00	...	2600.00
8.08	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	3601	8524.39	...	8524.39	11500.00	...	11500.00	9500.00	...	9500.00	12620.00	...	12620.00
8.09	त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीआरपी)	3601	156.06	...	156.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8.10	अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	3601	5109.24	...	5109.24	5710.00	...	5710.00	5110.00	...	5110.00	6107.61	...	6107.61
8.11	किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी)	3601	49.55	...	49.55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8.12	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्रवाई योजना (एनईजीएपी)	3601	117.69	...	117.69	190.00	...	190.00	125.00	...	125.00	190.00	...	190.00
8.13	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि - राज्य संघटक	3601	1130.00	...	1130.00	2250.00	...	2250.00	2130.00	...	2130.00	4840.00	...	4840.00
8.14	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)													
8.14.01	शहरी अवसंरचना एवं अभिशासन से संबंधित उप मिशन	3601	3776.48	...	3776.48	5912.92	...	5912.92	3067.92	...	3067.92	5922.00	...	5922.00
8.14.02	लघु और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास (यूआईडीएसएसएमटी)	3601	275.94	...	275.94	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	2300.00	...	2300.00
8.14.03	शहरी गरीबों के लिए मूल सेवाओं संबंधी उप मिशन (एसएमबीएसयूपी)	3601	1234.47	...	1234.47	2000.00	...	2000.00	1414.00	...	1414.00	2300.00	...	2300.00
8.14.04	एकीकृत आवास तथा गंदी बस्ती विकास (आईएचएसडीपी)	3601	777.13	...	777.13	1006.08	...	1006.08	578.08	...	578.08	1000.00	...	1000.00
8.14.05	राजीव आवास योजना (आरएवाई)	3601	60.00	...	60.00	1200.00	...	1200.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00
	जोड़- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)		6124.02	...	6124.02	11619.00	...	11619.00	7560.00	...	7560.00	12522.00	...	12522.00

http://india.nep.gov.in

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
8.15 सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टीआरपी)	3601	208.84	...	208.84	...	...	...	...	...	...	...	...	
8.16 बृहन मुम्बई स्टार्म वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट (त्रिमस्टोवा), मुम्बई	3601	500.00	...	500.00	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...	
8.17 2005-06 के दौरान बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का दीर्घ अवधि पुनर्निर्माण	3601	325.11	...	325.11	...	...	...	...	...	...	...	...	
8.18 चेन्नै में डिशालिनेशन प्लांट के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...	
8.19 वन क्षेत्र की बहाली और पुनरोपण के त्वरित कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	81.66	...	81.66	...	...	...	...	...	...	...	...	
8.20 बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सूखा उपशमन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	...	...	...	1200.00	...	1200.00	1000.00	...	1000.00	...	...	
<b>जोड़- एकमुश्त अनुदान</b>		<b>57972.45</b>	...	<b>57972.45</b>	<b>62992.81</b>	...	<b>62992.81</b>	<b>63596.03</b>	...	<b>63596.03</b>	<b>71741.61</b>	...	<b>71741.61</b>
<b>9. एकमुश्त ऋण</b>													
9.01 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	7601	7824.06	...	7824.06	7163.44	...	7163.44	10413.44	...	10413.44	9000.00	...	9000.00
<b>जोड़-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान ऋण</b>		<b>65796.51</b>	...	<b>65796.51</b>	<b>70156.25</b>	...	<b>70156.25</b>	<b>74009.47</b>	...	<b>74009.47</b>	<b>80741.61</b>	...	<b>80741.61</b>
10. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण / राष्ट्रीय आपदा निधि में अंतरण (एनडीआरएफ)	2245	...	3160.00	3160.00	...	3560.00	3560.00	...	3900.00	3900.00	...	4525.00	4525.00
10.01 घटाइए - आयकर / निगम कर पर अधिभार आदि	0021	...	-3160.00	-3160.00	...	-3560.00	-3560.00	...	-3900.00	-3900.00	...	-4525.00	-4525.00
<i>कुल</i>		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता / राष्ट्रीय आपदा राहत निधि में सहायता (एनडीआरएफ)	2245	...	3261.52	3261.52	...	3560.00	3560.00	...	3560.00	3560.00	...	4525.00	4525.00
11. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता / राष्ट्रीय आपदा राहत निधि में सहायता (एनडीआरएफ)													
11.01 घटाइए-एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से अंतरण द्वारा पूरी की गई धनराशि	2245	...	-3160.00	-3160.00	...	-3560.00	-3560.00	...	-3560.00	-3560.00	...	-4525.00	-4525.00
<b>जोड़-</b>		...	<b>101.52</b>	<b>101.52</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. वास्तविक वसूलियां	2075	...	-2104.49	-2104.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	-26.20	...	-26.20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़</b>		<b>-26.20</b>	<b>-2104.49</b>	<b>-2130.69</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>		<b>65770.31</b>	<b>28019.46</b>	<b>93789.77</b>	<b>70156.25</b>	<b>32964.00</b>	<b>103120.25</b>	<b>74009.47</b>	<b>32474.00</b>	<b>106483.47</b>	<b>80741.61</b>	<b>49623.62</b>	<b>130365.23</b>

विकास शीर्ष	बजट सहायता			जोड़			बजट सहायता			जोड़			
	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़		
<b>ग. योजना परिव्यय</b>													
<b>राज्य योजना:</b>													
1. एकमुश्त ऋण	43601	7824.06	...	7824.06	7163.44	...	7163.44	10413.44	...	10413.44	9000.00	...	9000.00
2. एकमुश्त अनुदान	43601	57946.25	...	57946.25	62992.81	...	62992.81	63596.03	...	63596.03	71741.61	...	71741.61
<b>जोड़ - राज्य योजना</b>		<b>65770.31</b>	...	<b>65770.31</b>	<b>70156.25</b>	...	<b>70156.25</b>	<b>74009.47</b>	...	<b>74009.47</b>	<b>80741.61</b>	...	<b>80741.61</b>
<b>जोड़</b>		<b>65770.31</b>	...	<b>65770.31</b>	<b>70156.25</b>	...	<b>70156.25</b>	<b>74009.47</b>	...	<b>74009.47</b>	<b>80741.61</b>	...	<b>80741.61</b>

1. **गैर योजना अनुदान:** इस मांग में 13वें वित्त आयोग की अनुसंशाओं के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को देय अनुदान शामिल हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित अनुदान उपलब्ध कराए गए हैं।

4. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केन्द्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के बदले अनुदान:** केन्द्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के बदले अनुदान हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के लिए 325 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

5. **अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान अल्पावधि नकदी विषमताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता हेतु एक अस्थायी अग्रिम है।

6. **ऋणों का परिवर्तन/ माफी:** पात्र राज्यों के लिए वसूल न हो सकने वाले ऋणों के परिवर्तन/ माफी के लिए 12वें वित्त आयोग के एवार्ड के अनुसरण में एक प्रावधान भी किया गया है।

8. **एकमुश्त अनुदान:** इस मांग के अंतर्गत सामान्य केन्द्रीय सहायता के प्रावधान के अतिरिक्त विशेष योजना सहायता के तहत योजना निधियों का प्रावधान किया गया है जिसमें लद्दाख क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रु. तथा जम्मू-कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिससे इन क्षेत्रों के लिए भारत सरकार द्वारा गठित विशेष कार्यबल द्वारा अनुशंसित परियोजनाएं आरंभ की जा सकें। अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और पर्वतीय क्षेत्रों/पश्चिमी घाट, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि आदि के प्रावधान हैं। 5400 करोड़ रु. की असंबद्ध विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) भी उपलब्ध कराई गई है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के लिए प्रावधान है जिसमें फिलहाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आई.जी.एन.ओ. ए.पी.एस.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अशक्तता पेंशन स्कीम (आई.जी.एन.डी.पी.एस.), राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (एन.एफ.बी.एस.) तथा अन्नपूर्णा स्कीम शामिल हैं।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (एन.ई.जी.ए.पी.) स्कीम जो 2004-05 में अनुमोदित की गई थी, के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई.ए.पी.) के लिए ए.सी.ए. का प्रावधान भी किया गया है। <http://indiabudget.nic.in>

फलैगशिप त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए भी प्रावधान किया गया है। जे.एन.एन.यू.आर. एम. के घटक हैं- शहरी अवसंरचना एवं गवर्नेंस उप-मिशन (एस.एम. यू.आई.जी.), छोटे और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास (यू.आई.डी.एस.एस. एम.टी.), शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवा उप-मिशन (एस.एम.बी. एस.यू.पी.), एकीकृत आवास एवं स्वल्प विकास (आई.एच.एस.डी.पी.) और राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.)।

9. **एकमुश्त ऋण:** विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण के तहत भी निधियों का प्रावधान किया गया है।

11. **राष्ट्रीय विपदा रिस्पांस निधि से राज्यों को सहायता:** प्राकृतिक पीड़ितों को तत्काल राहत मुहैया कराने के उद्देश्य से एन.डी.आर.एफ. हेतु निधि का प्रावधान भी किया गया है।